कार्यालय–निदेशक कारखाना, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

संख्याः–1274एफ / जन / निर्वाचन–2023, दिनांक 02–05–2023

1–समस्त सम्भागीय उप निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्याः–993 / 36–3–2023–02(सा0) / 14बी0सी0, दिनांक 28 अप्रैल, 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा नगर निकाय निर्वाचन–2023 में मतदान दिवस पर अवकाश की घोषणा किए जाने के सम्बन्ध में पत्र निर्गत किया गया है।

उक्त संदर्भ में शासन के पत्र संख्याः–993 / 36–3–2023–02(सा0) / 14बी0सी0, दिनांक 28 अप्रैल, 2023 की प्रति को संलग्न करते हुए आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है, कि पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुरूप सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार सिंह)
निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश।

संख्याः–1274(i-iii)एफ / जन / निर्वाचन–2023, दिनांक 02–05–2023

प्रतिलिपि–निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र संख्याः–993 / 36–3–2023–02(सा0) / 14बी0सी0, दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के संदर्भ में।
2. अपर श्रमायुक्त (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश कार्यालय–श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, मुख्यालय, कानपुर।

(राकेश कुमार सिंह)
निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश।

ई–मेल / समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्याः– 993 / 36–3–2023–02(सा0) / 14टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार–III
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी,
नगरीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग–3 लखनऊ :: दिनांक :28 अप्रैल, 2023

विषयः– नगरीय निकाय निर्वाचन, 2023 हेतु मतदान दिवस पर अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–211 / रा0नि0आ0–4 / न0नि0 / 39–23 / 2023 दिनांक 09.04.2023 की छायाप्रति संलग्न का अवलोकन करने कर कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगर निगमों के महापौरों एंव पार्षदों तथा नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु निम्नांकित जनपदों में प्रथम चरण का मतदान दिनांक 04.05.2023 को एवं द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 11.05.2023 को होना नियत हैः–

प्रथम चरण		
क0स0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम
1.	सहारनपुर	शामली, मुजफफ्रनगर, सहारनपुर
2.	मुरादाबाद	बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल
3.	आगरा	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी
4.	झॉसी	झॉसी, जालौन, ललितपुर
5.	प्रयागराज	कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़
6.	लखनऊ	उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी
7.	देवीपाटन	गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती
8.	गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर
9.	वाराणसी	गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर
	द्वितीय चरण	
1.	मेरठ	मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलन्दशहर
2.	बरेली	बदायूॅ, शाहजहॉपुर, बरेली, पीलीभीत

3.	अलीगढ़	हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़
4.	कानपुर	कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात
5.	चित्रकूट	हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बॉदा
6.	अयोध्या	अयोध्या, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, अमेठी
7.	बस्ती	बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर
8.	आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ, बलिया
9.	मीरजापुर	सोनभद्र, भदोही, मीरजापुर

गत निर्वाचनों की भॉति उक्त निर्वाचन हेतु भी मतदान तिथि को सावर्जनिक अवकाश घोषित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरिलिखित नगरीय निकाय, 2023 निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख के प्राविधानों अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लेने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त। भवदीय,

(अनिल कुमार–III)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– (1)/36–03–2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 (द्वारा श्रम आयुक्त, उ0प्र0)।
2– श्रम आयुक्त, उ0प्र0।
3– निदेशक कारखाना, उ0प्र0।
4– समस्त उप/सहायक श्रम आयुक्त, उ0प्र0 (द्वारा श्रम आयुक्त, उ0प्र0)।
5– समस्त उप/सहायक निदेशक कारखाना (द्वारा निदेशक कारखाना)।
6– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
7– राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–211/रा0नि0 आ0 –4/न0नि0/39–23/2023 दिनांक 09.04.2023 के कम में।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– ... / ... 2023 ...

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0
पी.सी.एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2630130 (कार्यालय)
फैक्स : 0522-2630115, 2630134
वेबसाइट : http://sec.up.nic.in
ईमेल : secup@up.nic.in, secup32@gmail.com

राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश
State Election Commission Uttar Pradesh

State Election Commission, U.P
P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow
Phone : 0522-2630130 (O)
Fax : 0522-2630115, 2630134
Website: http://sec.up.nic.in
Email : secup@up.nic.in, secup32@gmail.com

<u>निर्वाचन / शीर्ष प्राथमिकता</u>

संख्या : 211 / रा0नि0आ0–4 / न0नि0 / 39–23 / 2023 दिनाँक : 09 / 4 / 2023

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
श्रम विभाग, लखनऊ।

विषय : नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 के दृष्टिगत मतदान के दिनांकों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के नगर निगमों के महापौरों एवं पार्षदों तथा नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा अधिसूचना संख्या–206 / रा0नि0आ0अनु0–4 / न0नि0 / 2023 दिनांक 09.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत कर दी गई है जिसके अनुसार जनपदों में **प्रथम चरण का मतदान दिनांक 04.05.2023 को एवं द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 11.05.2023** को होना नियत है।

2– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त मतदान के दिनांकों में जो सार्वजनिक अवकाश के दिनांक नहीं हैं, उन दिनांकों में मतदान वाले जनपदों में प्रत्येक दशा में दिनांक **20.04**.2023 तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश निर्गत कराने के उपरान्त आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(एस0के0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

416/PS/4/G/23
वि.स.(2)/श्रम-1

11.04.2023
(अनिल कुमार III)
प्रमुख सचिव,
श्रम एवं सेवायोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

582/PS(R)/23
USS
12-4-23
(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
उ० प्र० शासन।

श्री विजय
13/4/2023

12.4.2023
(दिलीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव
श्रम एवं सेवायोजन विभाग,
उ० प्र० शासन।

राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०
पी.सी.एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2830130, 2830119 (कार्यालय)
वेबसाइट : https#sec.up.nic.in
ईमेल : secup@up.nic.in,
: secup32@gmail.com

Stste Election Commission, U.P.
P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow.
Phone : 0522-2830130, 2830119 (Off)
Website : https#sec.up.nic.in
E-mail : secup@up.nic.in,
: secup32@gmail.com

संख्या– 206/रा0नि0आ0अनु0–4/न0नि0/2023 लखनऊः दिनांक : 09 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास की अधिसूचना संख्या–971/9–1–2023–104 निर्वाचन/17 दिनांक 09 अप्रैल, 2023 एवं संख्या–972/9–1–2023–104 निर्वाचन/17 दिनांक 09 अप्रैल, 2023 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–45 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–13ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के महापौरों, पार्षदों, अध्यक्षों तथा सदस्यों के सामान्य निर्वाचन (जनपद महराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार, जनपद बस्ती की नगर पंचायत भानपुर एवं मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित नगरीय निकायों को छोड़कर) निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय सारिणी एवं संलग्न चरणों का विवरण के अनुसार कराए जाने का निर्देश देता हूँ:–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
1.	जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं न0नि0) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक	10.04.2023 (सोमवार)	16.04.2023 (रविवार)
2.	निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक	11.04.2023 (मंगलवार)	17.04.2023 (सोमवार)
3.	नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	11.04.2023 से 17.04.2023 तक (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	17.04.2023 से 24.04.2023 तक (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)
4.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	18.04.2023 (मंगलवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	25.04.2023 (मंगलवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
5.	अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक व समय	20.04.2023 (गुरूवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	27.04.2023 (गुरूवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)
6.	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	21.04.2023 (शुक्रवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	28.04.2023 (शुक्रवार) (पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
7.	मतदान का दिनांक व समय	04.05.2023 (गुरूवार) (पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक)	11.05.2023 (गुरूवार) (पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक)
8.	मतगणना का दिनांक व समय	13.05.2023 (शनिवार) (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	13.05.2023 (शनिवार) (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. उपर्युक्त निर्वाचन के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अपने जिले में उनके लिए सन्दर्भित समय सारिणी में निर्धारित दिनांक को सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे। उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रतिलिपि सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिए तथा एक प्रतिलिपि आयोग को उसी दिन भेजेंगे। तत्क्रम में निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रों के निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना उनके लिए सन्दर्भित समय सारिणी में निर्धारित दिनांक को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को भेजेंगे।

3. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा उनके द्वारा पदाभिहित किए गए समस्त नगरीय निकायों के रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपर्युक्त कार्यक्रम का अपने से सम्बन्धित जिला तथा नगरीय निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार करायेंगे तथा उसकी प्रतियॉ सम्बन्धित कार्यालयों तथा नगरीय निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे। उक्त सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के अनुसार सम्पन्न होगा।

4. उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

5. देश भर में कोविड की स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए और राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिकरण/राज्य आपदा प्रबन्ध अधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्ध अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय को वापस लेने के मद्देनजर, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी की गई सलाह का पालन करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान पॉच सूत्री रणनीति पर लगातार फोकस किया जाएगा, यानी टेस्ट–ट्रैक–ट्रीट–टीकाकरण और COVID उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे। जिला मशीनरी द्वारा प्रभावी ढ़ग से कोविड स्थिति की निगरानी की जाएगी और आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक मानदंड निर्धारित करके कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को लागू किया जाएगा।

मनोज कुमार
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय)
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 206 (1)/रा0नि0आ0अनु0–4/न0नि0/2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
14. पुलिस कमिश्नर, लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद।

15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस निर्वाचन समय–सारिणी को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र को भी प्रसारण हेतु भेज दें।
16. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
18. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय)/अपर जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20. समस्त नगर निगमों के नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
21. समस्त अधिशाषी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
22. निदेशक, दूरदर्शन/ आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कराने का कष्ट करें।
23. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड(ख) में दिनांक 09.04.2023 को प्रकाशित कर सम्बन्धित गजट की दस प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
24. सूचनाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे सभी समाचार पत्रों, दूरदर्शन/ आकाशवाणी केन्द्रों से सम्यक् रुप से प्रकाशित एवं प्रसारित करा दिया जाय।
25. समाचार सम्पादक आकाशवाणी, गोरखपुर केन्द्र, गोरखपुर।
26. निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ प्रभारी, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद, लखनऊ, रामपुर, रामनगर (वाराणसी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
27. निजी सचिव, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
28. आयोग के समस्त अधिकारी/ अनुभाग/ प्रकोष्ठ।
29. सूचना पट,राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
30. गार्ड फाइल अनुभाग–4

आज्ञा से,

09/04/2023

(सुधा वर्मा)

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 के प्रथम एवं द्वितीय चरणों का जनपदवार विवरण।

प्रथम चरण		
क्र.सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम
1.	सहारनपुर	शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर
2.	मुरादाबाद	बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल
3.	आगरा	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी
4.	झाँसी	झाँसी, जालौन, ललितपुर
5.	प्रयागराज	कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़
6.	लखनऊ	उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी
7.	देवीपाटन	गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती
8.	गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर
9	वाराणसी	गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर
द्वितीय चरण		
1.	मेरठ	मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलन्दशहर
2.	बरेली	बदायूँ, शाहजहाँपुर, बरेली, पीलीभीत
3.	अलीगढ़	हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़
4.	कानपुर	कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात
5.	चित्रकूट	हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बाँदा
6.	अयोध्या	अयोध्या, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, अमेठी
7.	बस्ती	बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर
8.	आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ, बलिया
9.	मीरजापुर	सोनभद्र, भदोही, मीरजापुर